महंत ललिता शरणजी

बनाम

देवकी देवी

16 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण मदन बी0 लोकुर और दीपक गुप्ता]

न्यायालय की अवमानना – प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण, अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए – प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना याचिका – लंबित मामलों के दौरान, प्रतिवादी द्वारा आपत्तिजनक निर्माण का विध्वंस – अवमानना याचिका का निपटान और अवमाननाकर्ता द्वारा यह वचन देना कि अपील के निपटान तक मौजूदा निर्मित निर्माण का उपयोग मानव निवास के लिए नहीं किया जाएगा – हालांकि, प्रतिवादी ने फिर से उसी भूमि पर निर्माण किया और उसमें रह रहा था – दूसरी अवमानना याचिका प्रतिवादी का मामला है कि संपत्ति की जीर्ण–शीर्ण प्रकृति के कारण, उसने कुछ रखरखाव कार्य किया लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रही थी – यदि प्रतिवादी को लगता है कि संपत्ति बर्बाद होने जा रही है, तो उसके लिए उचित रास्ता यह था कि वह निषेधाज्ञा के पिछले आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय से संपर्क करे या संपत्ति की रक्षा के लिए नए आदेश की मांग करे – वह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन कर सकती थी – संपत्ति की तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसे वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग के लिए रखा जा रहा था – प्रतिवादी का आचरण अवमाननापूर्ण है – ऐसा लगता है कि चूंकि प्रतिवादी पहले की अवमानना कार्यवाही में बहुत हल्के में छोड़ी गई, इसलिए उसे लगा कि वह कानून को अपने हाथों में ले सकती है – प्रतिवादी ने न केवल जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवज्ञा की, बल्कि इस न्यायालय को दिए गए अपने गंभीर वचन और पहले की अवमानना कार्यवाही में पारित आदेश का भी उल्लंघन किया – इसलिए, वह सिविल अवमानना की दोषी है – उसने माफी भी नहीं मांगी है– सशर्त या अशर्त –इस तथ्य के अलावा कोई मुक्ति दिलाने का कारक नहीं है कि वह 63 वर्ष की आयु की महिला है – प्रतिवादी को 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई – यदि प्रतिवादी पूरे निर्माण को हटा देता है और निर्धारित अवधि के भीतर भूमि के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को सौंप देता है, तो कारावास की सजा निलंबित कर दी जाएगी।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 394 वर्ष 2009 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 258 वर्ष 2010 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 1758 वर्ष 2017.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 10.03.2006 के निर्णय और आदेश से सिविल विविध रिट याचिका संख्या 12972 वर्ष 1984 में।

याचिकाकर्ता की ओर से नीरज कुमार जैन, ए. मरियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. एन. सिंह, सुश्री अरुणा माथुर, सुश्री अनुराधा अरपुथम, संजय सिंह, विकास के. सिंह उपस्थित थे।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता दीप्तकीर्ति वर्मा।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा –

दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति. 1. याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14543 वर्ष 2006 दायर की, जिसमें अंतरिम राहत देने के लिए एक प्रार्थना की गई थी और यह प्रार्थना की गई थी कि यह न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 12972 वर्ष 1984 में पारित दिनांक 10.03.2006 के आक्षेपित निर्णय पर एकपक्षीय रोक लगा दे। आगे प्रार्थना की गई कि देवकी देवी को वृंदावन चटीकरा आगरा मेन रोड पर स्थित प्लॉट नंबर 212/2 का हिस्सा होने के कारण विवाद में भूमि पर किसी भी निर्माण को उठाने से रोका जाए और विवाद में भूमि की प्रकृति को बदलने से रोका जाए। इस न्यायालय ने 11–09–2006 को इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए निदेश दिया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। तत्पश्चात्, दिनांक 05–01–2009 को अवकाश प्रदान किया गया और यह निदेश दिया गया कि अंतरिम आदेश जारी रहना है।

2. अंतरिम आदेशों के बावजूद, देवकी देवी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 02.10.2010 को पुलिस स्टेशन वृंदावन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की और उसके बाद, इस न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 258 वर्ष 2010 दायर की। उक्त अवमानना याचिका पर देवकी देवी को दिनांक 08–10–2010 को नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 22–11–2010 के आदेश द्वारा पुन निदेश दिया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण – अस्थायी या स्थायी, नहीं किया जाएगा। जब अवमानना की कार्यवाही लंबित थी, तो देवकी देवी ने उसी पर जवाब दाखिल किया। शुरुआत में उन्होंने अवमानना कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 2010 में मथुरा–वृंदावन के क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी और क्योंकि इमारत को आसन्न खतरा था, इसलिए उन्होंने कुछ मरम्मत कार्य किए थे। तथापि, दिनांक 31012011 को देवकी देवी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपत्तिजनक निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। देवकी देवी द्वारा एक वचन पत्र भी दिया गया था कि वह उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं करेंगी और इसलिए, अवमानना को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, 21.02.2011 को, इस न्यायालय ने अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 258 वर्ष 2010 का निम्नलिखित शर्तों में निपटारा किया:

"वर्तमान याचिका दायर करने के बाद प्रतिवादी – कथित अवमाननाकर्ता द्वारा किए गए आपत्तिजनक निर्माण का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। प्रतिवादी की ओर से पेश वकील द्वारा यह कहा गया है कि विषय संपत्ति अब रहने योग्य नहीं है। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि जो भी निर्मित निर्माण मौजूद है, उसका उपयोग अपील के निपटान तक मानव निवास के लिए नहीं किया जाएगा। वक्तव्य/वचन को ध्यान में रखते हुए, अवमानना याचिका में आगे कोई आदेश नहीं मांगा जाता है। इसे बंद किया जाता है और जारी किए गए नोटिस को उन्मुक्त किया जाता है।''

3. दूसरी अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1758 वर्ष 2017 दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देवकी देवी ने फिर से उसी भूमि पर निर्माण किया था और उसमें रह रही थी। अवमानना याचिका के साथ तस्वीरें भी दाखिल की गईं जिससे साफ पता चलता है कि नए घर का निर्माण किया गया है।

इस नए निर्माण के ठीक बाहर एक साइन बोर्ड भी है जो इस तथ्य का विज्ञापन करता है कि वातानुकूलित और गैर–वातानुकूलित कमरे उपलब्ध थे। देवकी देवी ने जवाब दाखिल किया। उनके अनुसार, वह और उनके परिवार के सदस्य किसी अन्य संपत्ति में रह रहे हैं, जो विषय संपत्ति के करीब है और कमरे देने का विज्ञापन उस संपत्ति के संबंध में था। हालांकि, यह तथ्य साइन बोर्ड से परिलक्षित नहीं होता है, जिसमें किसी अन्य संपत्ति का उल्लेख नहीं होता है। देवकी देवी द्वारा लिया गया एकमात्र अन्य बचाव यह था कि उन्होंने वर्ष 2011 में पहले उठाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया था और इस न्यायालय को दिए गए वचन के संदर्भ में घर का उपयोग करना बंद कर दिया था। वह कहती है कि चूंकि संपत्ति परित्यक्त पड़ी थी, इसलिए कुछ बस ऑपरेटरों ने अपनी बसों को पार्क करना शुरू कर दिया था और कुछ आवारा लोगों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। भले ही उसने वहां एक गार्ड तैनात किया था, लेकिन इस संपत्ति की जीर्ण–शीर्ण प्रकृति के कारण, असामाजिक तत्व उसी की ओर आकर्षित थे और इसलिए, उसने कुछ रखरखाव कार्य किया था। उनके अनुसार, उन्होंने जो कुछ भी किया है वह संपत्ति को इस तरह से बनाए रखना है कि संपत्ति उपयोग में है।

4. दायर की गई तस्वीरें पूरी तरह से अलग तस्वीर दर्शाती हैं। जो बनाया गया है वह काफी बड़ा घर है और जब हम वर्ष 2011 में पहले की अवमानना याचिका में दायर तस्वीरों के साथ इसकी तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि अब निर्मित संरचना उस संरचना से पूरी तरह से अलग है, जिसे वर्ष 2011 में ध्वस्त कर दिया गया था। यदि देवकी देवी को लगता है कि संपत्ति बर्बाद होने जा रही है, तो उनके लिए उचित रास्ता यह था कि वह निषेधाज्ञा के पिछले आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय से संपर्क करें या संपत्ति की रक्षा के लिए नए आदेश की मांग करें। वह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन कर सकती थी। संपत्ति की तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसे वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग के लिए रखा जा रहा था।

5. देवकी देवी का आचरण तिरस्कारपूर्ण है। उन्होंने पहले इस न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा की अवज्ञा की थी और अवमानना याचिका संख्या 258 वर्ष 2010 दायर करने के बाद, अपने द्वारा उठाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया था और इस न्यायालय को एक गंभीर वचन दिया था कि वह कोई नया निर्माण नहीं करेगी और न ही वह इसका उपयोग मानव निवास के लिए करेगी। पहले के आदेश और वचन के बावजूद, उन्होंने न केवल नए निर्माण को उठाया है, बल्कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने इसका उपयोग मानव निवास के लिए किया है। हमें ऐसा लगता है कि चूंकि देवकी देवी पहले की अवमानना कार्यवाही में बहुत हल्के में उतर गई थीं, इसलिए उन्हें लगता है कि वह कानून को अपने हाथ में ले सकती हैं। उनके द्वारा दायर किया गया जवाब वस्तुतः अवमानना को बढ़ाता है। उनके अनुसार, उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण नहीं किया था। यह बयान स्पष्ट रूप से गलत है और यहां तक कि उनके विद्वान वकील भी हमें यह नहीं बता सके कि तस्वीरों से स्पष्ट निर्माण, जिसे अस्वीकार भी नहीं किया गया है, इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है। इतना ही नहीं, संपत्ति के बाहर लगे साइन बोर्ड के संबंध में आम जनता को सूचित किया गया है कि वातानुकूलित और गैर–वातानुकूलित कमरे किराए पर उपलब्ध हैं, दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से गलत है। हम यह भी बता सकते हैं कि देवकी देवी द्वारा किए गए कथनों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है।

6. इसलिए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देवकी देवी ने जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवज्ञा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस न्यायालय को दिए गए अपने गंभीर वचन और इस न्यायालय द्वारा पहले की अवमानना कार्यवाही में पारित आदेश का भी उल्लंघन किया है। इसलिए, वह नागरिक अवमानना की दोषी है।

7. जहां तक सजा की मात्रा का सवाल है, हम यह बता सकते हैं कि अवमाननाकर्ता देवकी देवी ने माफी तक नहीं मांगी है। उन्होंने अपने उत्तर में केवल इतना कहा था कि ...। यदि वास्तव में उनके कार्यों से किसी भी तरह से इस माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, तो वह बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ' कानून की नजर में यह कोई माफी नहीं है। इस तथ्य के अलावा कोई रिडीमिंग फैक्टर नहीं है कि वह 63 वर्ष की महिला है। उसने योग्य या अयोग्य कोई माफी नामा प्रस्तुत नहीं किया है। उसने इस न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए विवादित भूमि पर निर्माण किया है।

8. जहां तक सजा की मात्रा का सवाल है, देवकी देवी के मन में स्पष्ट रूप से देश के कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है और उन्होंने जानबूझकर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा की है। जाहिर है कि वह कानून के शासन की परवाह नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में, हम इस तरह से सजा देने के लिए बाध्य हैं कि यह कानून की महिमा को बरकरार रखे। हम बता दें कि सिविल अपील संख्या 394 वर्ष 2009 में, महंत ललिता शरणजी की अपील को स्वीकार करते हुए, हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

"13. प्रतिवादी, देवकी देवी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी लागत पर पूरे निर्माण को हटा दें और आज से 30 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दें, जिसमें विफल रहने पर अपीलकर्ता भूमि और भवन का कब्जा लेने के लिए अदालत की सहायता ले सकता है, जिस स्थिति में, देवकी देवी संरचना की लागत या किसी अन्य क्षति की हकदार नहीं होगी।''

9. हम देवकी देवी को नागरिक अवमानना का दोषी मानते हैं और उन्हें 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाते हैं और केवल 2000 रुपये का जुर्माना देते हैं। हालांकि, उस पर लगाए गए कारावास की सजा को इस शर्त पर निलंबित कर दिया जाएगा कि वह सिविल अपील संख्या 394 वर्ष 2009 में दिए गए निर्देश का पालन करती है। सिविल अपील में पारित आदेशों का अनुपालन उसे कारावास की सजा से मुक्त कर देगा। यदि वह ऊपर उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे दिए गए कारावास की सजा भुगतना होगा।

अनुपालन के लिए आगे सूचीबद्ध मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.



Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733